न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 70/2019

प्रविष्टि दिनांक – 09.07.2019

उनवान

मेघराजसिंह पुत्र लादुराम जाति राजपूत निवासी टिक्कीवालों का मोहल्ला, पुरानी टोंक, तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन– वकील वादीगण

श्री अर्जूनलाल मीणा– पैरोकार सरकार

निर्णय

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 96, 63/2081, 63/1082 वाके ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका वह तनहा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता का नाम लादूराम अंकित कर रखा है जबकि सही एंव वास्तविक नाम लादूराम है। राशनकार्ड, अधारकार्ड, बेंक की पासबुक आदि में बसन्ती ही नाम अंकित है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र0 स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में लादूसिंह के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम लादूराम अंकित करवाया जाकर दुरूस्ती फरमायी जाये।

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पीएनबी बेंक की पासबुक आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। पैराकार सरकार ने तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2039–2042 में मेघराजसिंह पुत्र लादूसिंह अंकित है जो नामांतकरण से आया है। राजस्व रिकार्ड में किसी भी स्तर पर त्रुटि नहीं है। लादुसिंह के स्थान पर लादुराम यदि वादी करवाना चाहता है तो माननीय न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पेश किये जाने है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता का नाम लादूसिंह अंकित है एंव आधारकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात में लादूराम अंकित है। ग्राम धोलाखेडा की जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या–173 खसरा नम्बर 613/2 में वादी के पिता का नाम लादूराम अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य रिकार्ड में सहवन से अथवा लिपिकीय त्रुटि से लादुसिंह अंकित हो गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से आवेदक के पिता का नाम लादूराम के स्थान पर लादूसिंह अंकित हो गया है जो लिपीकीय त्रुटि होने से दुरूस्त योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 96, 63/2081, 63/1082 वाके ग्राम लहन, तहसील व जिला टोंक में आवेदक के पिता का नाम लादूसिंह के स्थान पर लादूराम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज **दिनांक** 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक